[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2017

का. आ. ________ (अ). केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 210क की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 3 अक्तूबर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3118(अ) तारीख 3 अक्तूबर, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, क्रम सं. 3 और 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3)	डा. श्याम अग्रवाल, अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान	सदस्य [उक्त अधिनियम की धारा 210क की उप-धारा(2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(4)	श्री निलेश एस. विकमसे, अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान	सदस्य [उक्त अधिनियम की धारा 210क की उप-धारा(2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]"

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल-V (भाग VI)]

अमरदीप सिंह भाटिया,
संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड(ii) में तारीख 3 अक्तूबर, 2016 की का.आ. संख्या 3118(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और तारीख 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का. आ. 366(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।